इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 8976-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 29 मार्च, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१२

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, २०१२.

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह १ अप्रैल, २०१२ से प्रवृत्त होगा.

नवीन धारा १५-क का अन्तःस्थापन.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १५ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

वसूली की विशेष रीति.

"१५-क (१) धारा १५ में या किसी विधि या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आयुक्त या वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायक से भिन्न कोई अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर विहित प्ररूप में सूचना द्वारा, जिसकी एक प्रति नियोजक या व्यक्ति को उसके ऐसे अंतिम पते पर, जो कि सूचना देने वाले अधिकारी को ज्ञात है, भेजी जाएगी,—

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसके द्वारा उस नियोजक को या व्यक्ति को जिसने इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी रकम के लिए मांग की सूचना का अनुपालन नहीं किया है, कोई रकम शोध्य है या शोध्य हो जाए;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसे नियोजक या व्यक्ति की ओर से या उसके लेखे कोई धन धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करे,

यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस धन में से उतने धन को जितना कि इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया, ब्याज तथा शास्ति के संबंध में उस नियोजक या व्यक्ति से शोध्य रकम का भुगतान करने के बराबर हो या वह सम्पूर्ण धन जबकि वह उस रकम से कम हो या तो तत्काल या धन के शोध्य हो जाने पर या धारण कर लिए जाने पर या सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर (जो धन शोध्य होने या धारण किए जाने के पूर्व का न हो) सरकारी खजाने में भुगतान करे.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी नियोजक या व्यक्ति को शोध्य रकम या उसके द्वारा नियोजक या व्यक्ति की ओर से या उसके लेखे धारण किए गए धन की संगणना, ऐसे दावों को, यदि कोई है, हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी जो ऐसे नियोजक या व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने के लिये शोध्य हो गए हैं, जो विधिपूर्णतः अस्तित्व में हैं.

(२) उपधारा (१) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर, किसी ऐसी सूचना को संशोधित या प्रतिसंहृत कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में कोई भुगतान करने के लिए समय बढ़ा सकेगा.

(३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने नियोजक या व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन भुगतान

किया है और ऐसे भुगतान से संबंधित खजाने की रसीद, रसीद में विनिर्दिष्ट की गई रकम की सीमा तक ऐसे नियोजक या व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के दायित्व का समुचित तथा पर्याप्त उन्मोचन होगा.

(४) कोई भी व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना की उस पर तामील होने के पश्चात् नियोजक या व्यक्ति के प्रति दायित्व का उन्मोचन करना है, तो वह उन्मोचित दायित्व की सीमा तक या कर या शास्ति या दोनों के संबंध में नियोजक या व्यक्ति के दायित्व की सीमा तक, जो भी कम हो, राज्य सरकार के प्रति स्वयं दायी होगा.

(५) जहां कोई भी व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन सूचना तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई भाग, उस समय जबकि उस पर सूचना तामील की गई थी, उसके द्वारा नियोजक या व्यक्ति को शोध्य नहीं था वह नियोजक या व्यक्ति की ओर से या उसके लेखे कोई धन धारण नहीं करता था, तो इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति, ऐसे किसी धन या उसके भाग का सरकार को भुगतान करने के लिए अपेक्षित करने वाली नहीं समझी जाएगी.

(६) कोई भी धनराशि, जिसका भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति से उपधारा (१) के अधीन अपेक्षा की जाती है या जिसके लिये वह उपधारा (४) के अधीनराज्य सरकार के प्रति स्वयं दायी हैं, यदि वह अदत्त रह जाए, भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(७) इस धारा के उपबंधों का किसी भी ऐसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो नियोजक या व्यक्ति से शोध्य करके बकाया, ब्याज तथा शास्ति की, यदि कोई हो, वसूली के लिए की जा सकती है.''.

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''१. नियोजन में के ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी—

(क)	१,५०,००० रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(ख)	१,५०,००० रुपये से अधिक किन्तु १,८०,००० रुपये से कम है.	१५०० रुपये (१२५ रुपये प्रति मास)
(ग)	१,८०,००० रुपये और उससे अधिक है	२५०० रुपये (ग्यारह मास के लिए २०८ रुपये प्रति मास और बारहवें मास के लिए २१२ रुपये)'';

(दो) अनुक्रमांक ८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''८. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन कर की देनगी करने के दायित्वाधीन व्यापारी, जिनका वार्षिक ग्रास टर्न ओवर,—

(क) १०,००,००० रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं.
(ख) १०,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ५०,००,००० रुपये से कम है	२००० रुपये
(ग) ५०,००,००० रुपये और उससे अधिक है.	२५०० रुपये.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन.

वर्ष २०१२-१३ का बजट प्रस्तुत करते समय निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों तथा छोटे व्यापारियों को राहत देने संबंधी की गई घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए, मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं.

२. इस संबंध में नियोजकों और व्यक्तियों से वसूली की विशेष रीति के लिए उपबंध करने हेतु अवसर का लाभ भी लिया जा रहा है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २७ मार्च, २०१२.

राघवजी,
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.